अपील संख्या : 14/2022 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2022/21

अनवान :सुखी देवी बनाम नगर विकास न्यास बीकानेर, स्टेट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.3.2022	अभिभाषकगण उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। यह अपील प्राधिकृत अधिकारी, सचिव, नगर विकास न्यास बीकानेर के आदेश दिनांक 20–11–2012 के विरूद्व पेश हुई है। उक्त आदेश दिनांक 20.11.2012 के द्वारा नगर विकास न्यास बीकानेर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन आदेश में उल्लेखित खसरों का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु सुओमोटो (स्वप्रेरणा) अनुज्ञा प्रदान की, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर अपील 20.11.2012 विधि विरूद्ध, गलत, असंगत एवं मनमाने तौर पर किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर ने सुओमोटो के आधार पर आदेश पारित किया, जिसका इस प्रकरण से संबंधित विधि में प्रावधान नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण हाजा में कोई जांच नहीं की, दस्तावेजी साक्ष्य की कोई जरूरत नहीं समझी, हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई को कोई अवसर नहीं दिया। धारा 90–क के प्रावधानों में व्यक्तिशः नोटिस का अनिवार्य प्रावधान है। अपीलांट हल्का पटवारी से दिनांक 24.11.2021 को सम्पर्क किया तो उन्होंने जैर अपील की जानकारी दी। तदुपरांत दिनांक 29.11.2021 को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर यह अपील प्रस्तुत की। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2012 को निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 नगर विकास न्यास बीकानेर ने दौराने बहस अवगत कराया कि यह अपील लगभग 9 वर्ष बाद इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 16.06.1976 द्वारा कुल 20 गांवों को शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। उक्त समस्त भूमि का स्वामित्व नगर विकास न्यास बीकानेर को हस्तांतरित कर दिया। अपील मियाद बाहर एवं औचित्यहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावे। हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। यह अपील नगर विकास न्यास बीकानेर के आदेश दिनांक 20.11.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय	

संभागीय आयुक्त बीकानेर

में विचाराधीन है। नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अन्तर्गत तहसील बीकानेर के विभिन्न खसरों की भूमि का सुओमोटो अनुज्ञा के तहत अधीन कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान की गई थी। भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के अन्तर्गत नगर विकास न्यास को भूमि रूपान्तरण का अधिकार प्राप्त है। हम अधिनस्थ कार्यालय नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2012 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2012 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.03.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर